**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1893**

**29 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें**

**1893. श्रीमती कुसुम रायः**

**श्री अरविंद कुमार सिंहः**

 **श्री प्रभात झाः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उन भ्रष्ट अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने हाल में कार्रवाई की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के.अन्टनी)**

(क) से (घ): **जब कभी केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अन्य विभागों और आम जनता आदि से कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसकी मंत्रालय में जांच की जाती है और यदि आवश्यक होता है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह ली जाती है । वर्ष** 2011 **और** 2012 **(जुलाई तक) के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कुल** 40 **अधिकारियों के** विरुद्ध **अपनी प्रथम स्तरीय सलाह प्रदान की है । केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अगली कार्रवाई संगत नियमों के अनुसार की जाती है ।**

**\*\*\*\*\***